43

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 5–एक/2000 – विरूद्व आदेश दिनॉक 4–11–1999 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग,ग्वालियर – प्रकरण कमांक 402/1997–98 अपील

1– मेहरवान सिंह 2– महावीर सिंह पुत्रगण बुन्देल सिंह
निवासी ग्राम बगुल्या तहसील अशोकनगर
3– श्रीमती रामस्वरूपी पुत्र बुन्दल सिंह पत्नि गुलाबसिंह
निवासी ग्राम देरखा तहसील अशोकनगर तत्का.जिला गुना
वर्तमान जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश ———आवेदकगण

विरूद्व

श्रीमती विमला देवी (मृतक)पत्नि बलबंतसिंह यादव
वारिस
1– दिलीप पुत्र बलबंत सिंह यादव निवासी बार्ड क–1
तहसील व जिला अशोकनगर
2– प्रदीप पुत्र बलबंत सिंह यादव
3– सुधीर पुत्र बलबंत सिंह यादव
4– श्रीमती साधना पुत्री बलबंत सिंह पत्नि राजकिशोर
सभी निवासी बार्ड कमांक 2 तहसील व जिला अशोकनगर ———अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री आर0डी0शर्मा)
(अनावेदक के वारिसान सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श
(आज दिनांक 6–9 –2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 402/1997–98 अपील में पारित आदेश दिनॉक 4–11–1999 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि श्रीमती विमला देवी (मृतक)पत्नि बलबंतसिंह यादव ने अपने जीवनकाल में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि उसके नाम अशोकनगर – गुना रोड पर स्थित भूमि सर्वे कमांक 51/2–ख है किन्तु आवेदकगण ने ओव्हर राईटिंग करके 52/2–ख लिखवा दिया है। भूमि अशोकनगर – गुना रोड पर स्थित होने से उसे क्षति हो रही है अतः सर्वे नंबर का सही अंकन किया जाय। तहसीलदार अशोकनगर ने प्रकरण कमांक 3 अ–6–अ/84–85 पंजीबद्व किया तथा जांच एंव सुनवाई कर आदेश दिनांक 29–6–85 पारित किया तथा सर्वे नंबर का अंकन सही कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर के समक्ष अपील कमांक 14/1997–98 प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर ने पक्षकारों को श्रवण कर आदेश दिनांक 20–7–98 पारित किया तथा आवेदकगण की अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष द्वित्तीय अपील प्रस्तुत हुई। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण कमांक 40/1997–98 अपील में पारित आदेश दिनांक 4–11–99 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक के वारिसान को बार–बार सूचना दी गई एंव उनके अनुपस्थित रहने पर अंतिम सूचना पंजीकृत डाक से भेजी गई, किन्तु वह अनुपस्थित है। अतएव उनके विरूद्व एकपक्षीय हैं

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि विवादित भूखंड के सम्बन्ध में पूर्व से ही बटांकन का प्रकरण लम्बित चला आ रहा है जिसमें सुनवाई होना है किन्तु तहसीलदार ने जानबूझकर भूखंड बटांकन के प्रकरण की अनदेखी की है। संहिता की धारा 116 में लिपिकीय त्रृटि सुधारने के लिये एक वर्ष का समय निर्धारित है किन्तु अत्याधिक समय वाद धारा 116 का आवेदन ग्राह्य योग्य न होने के वाद भी सुनवाई करने में भूल की गई है। जिस भूखंड का विवाद है वह पूर्व में ही राज्य शासन व्दारा अर्जित किया जा चुका

निग० 5-II-2000

है जिसके कारण अनावेदक राहत पाने के पात्र नहीं है फिर भी तहसीलदार व्दारा गलत आदेश पारित करके अनावेदक को अनुचित लाभ दिया है। उन्होंने निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने की मांग की।

5/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदकगण के अभिभाषक बता रहे हैं कि जिस भूखंड का विवाद है वह पूर्व में ही राज्य शासन व्दंारा अर्जित किया जा चुका है , तब आवेदकगण ऐसे भूखंड के लिये अपील/निगरानी करके क्यों विवाद में पड़ रहे है विचार आवेदकगण के अभिभाषक समाधान नहीं करा सके। अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा पारित आदेशों के अवलोकन पर स्थिति यह है कि आवेदकगण को तहसील न्यायालय में बचाव प्रस्तुत करने का समुचित अवसर मिला है, तब भी आवेदकगण अपना दावा प्रमाणित नहीं कर सके एंव समाधान नहीं करा सके कि अनावेदकगण की भूमि सर्वे कमांक 51/2 के स्थान पर 52/2–ख किस प्रकार लिखा गया एंव सर्वे कमांक 51/2 ही सर्वे कमांक 52/2–ख है। अपितु जॉच में तहसीलदार ने पाया है कि भूमि सर्वे कमांक 51/2 के स्थान पर 52/2–ख षड़यॅत्र करके लिखा गया है जिसके कारण तहसीलदार अशोकनगर ने आदेश दिनांक 29–6–85 से लिपिकीय त्रृटि सुधार किया है जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है इन्हीं कारणों से अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर ने आदेश दिनांक 20–7–98 में एंव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने आदेश दिनांक 4–11–99 में तहसीलदार के आदेश में हस्तक्षेप योग्य नहीं किया है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा पारित आदेशों के निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 402/1997–98 अपील में पारित आदेश दिनॉक 4–11–1999 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर